न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी– नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 ———————————— 07 / 2019
प्रविष्टि दिनांक ———————————— 29.07.2019
निर्णय दिनांक ———————————— 12.01.2021

उनवान

रामदयाल पुत्र पन्नालाल जाति माली उम्र 58 वर्ष निवासी रेडिवारा तह0 व जिला टोंक

–वादी / आवेदक

बनाम

1. राशीद खान पुत्र अल्लानुर खान जाति मुसलमान निवासी लाडली बेगम की मस्जिद के पिछे काफला, टोंक तह0 व जिला टोंक
2. सैय्यद मौहम्मद हसन पुत्र सैय्यद अखतर हसन जाति मुसलमान निवासी रोडवेज वर्क शॉप के पिछे जेल रोड, टोंक तह. टोंक
3. मुन्नी देवी पत्नि नन्दलाल जैन (संघी) जाति महाजन निवासी आदर्श नगर, टोंक तह0 व जिला टोंक (राज0)
4. योगेश विजय पटवारी करबा टोंक शर्की तह0 व जिला टोंक (राज0)
5. कमलकुमार पटवारी हल्का करबा टोंक शर्की तह0 जिला टोंक(राज0)
6. मोहनलाल जैन गिरदावर करबा टोंक तहसील व जिला टोंक
7. सुरेश शर्मा तहसीलदार, टोंक

–प्रतिवादी / प्रार्थीगण

उपस्थित– श्री राजेन्द्र जाट व राकेश शर्मा –वकील प्रार्थी
श्री अर्जूनलाल मीणा –पैराकार सरकार

निर्णय

(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सीपीसी)

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अभिभाषक प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 5426 रकबा 16 बिस्वा वाके करबा टोंकशर्की, तहसील व जिला टोंक में प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश था और उक्त वाद के साथ एक प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी पेश किया था जिसमें दिनांक 18.01.2018 को प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत उत्पन्न नहीं करें व पाबन्द रहें। जिसकी सूचना सभी प्रतिपक्षीगण को होने के बावजूद दिनांक 16.07.2018 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के साथ प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि पर आये और प्रार्थी के साथ हाथापाई कर जबरन उसके साथ मारपीट की और जबरन मौके पर पत्थर गाड दिये और प्राथी के खेत से बैदखल करने पर आमादा हो हो गये। दिनांक 08.07.2019 को समय लगभग 3–4 बजे शाम को विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त खातेदारी की जमीन में जेसीबी मशीन लेकर घुस गये और प्रार्थी की कच्ची डोल को तोडने लगे प्रार्थी ने जब न्यायालय स्टे का हवाला दिया तो विपक्षीगण व उसके साथ आये लगभग 10–20 व्यक्तियों ने प्रार्थी व सीताराम के साथ गालीगलोच की व जान से माने की धमकी देते हुए मारपीट की पटवारी व गिरदावर को जब स्टे की कॉपी दिखाई तो उन्होने भी न्यायालय स्थगन को यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया इस कॉलोनी में हमारा भी शेयर है, प्लाटींग करने से हमें भी मुनाफा मिलेगा, ज्यादा करोगे तो हम तुम्हारी जमीन को भी हमारी जमीन में मिला लेगें, हम राजस्व कर्मचारी है, हम रिकार्ड में कुछ भी कर सकते है और जेसीबी चलवाकर प्रार्थी की खातेदारी की उक्त भूमि की कच्ची डोल पर लगे हुए हरे पेडों को कटवाकर गाडी में डालकर ले गये और न्यायालय का स्थगन होने के बावजूद भी वहां पर लोहे की जाली लगवा दी और राजस्व कर्मचारियों को न्यायालय का आदेश होने की पूर्ण जानकारी थी। विपक्षीगण द्वारा जानबूझकर उक्त मामला विवादित होने एंव वाद न्यायालय में लम्बित होने तथा माननीय न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर देने के बावजूद भी माननीय न्यायालय के आदेश

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

की अवमानना व अवहेलना कर रहे है। इस कारण प्रार्थी को उक्त आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यकता हुई। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करने बाबत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिपक्षी संख्या–1 ता 3 के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिपक्षीगण संख्या–4 ता 6 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिपक्षीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 5424 कस्बा टोंकशर्की का सीमाज्ञान किया गया था। सीमाज्ञान का उक्त कार्य प्रशासनिक आदेश की पालना में किया गया था, इसलिये प्रार्थी का इसमें कोई व्यक्तिगत हित निहित नहीं है। वादी प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 5424 पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.01.2018 के संबंध में उल्लघन हेतु आरोप वर्णित किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण 4 ता 6 के किसी सदस्य द्वारा कोई उल्लघंन नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

प्रतिपक्षीगण ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए मौका पर्चा दिनांक 23.11.2017,व 08.07.2019, सीमाज्ञान आवेदन पत्र श्री राशिद की प्रमाणित प्रति पेश की है।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए कोई गवाह सबूत, दस्तावेजात आदि पेश नहीं किये गये।

प्रकरण में वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याालय हाजा के आदेश दिनांक 18.01. 2018 से यह स्पष्ट है कि प्रतिपक्षीगण/अप्रार्थी को प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 5425 रकबा 15 बिस्वा वाके कस्बा टोंकशर्की, तहसील व जिला टोंक में जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वह मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजीयात में मजाहमत नही करें। प्रार्थी को मुख्य रूप से प्रतिपक्षीगण 4 ता 6 जो राजकीय कार्मिक है, से ही शिकायत है कि उन्होने न्यायालय आदेश की अवहेलना की है। जबकि उनका कहना है कि उनके द्वारा निषेधाज्ञा से प्रभावित भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया है। जिसे साबित करने के लिए उनके द्वारा मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी पेश की है। किन्तु प्रार्थी ने कोई दस्तावेजात जैसे फोटोग्रॉफ, पुलिस रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट आदि पेश नहीं किये हे जिससे यह साबित हो कि प्रतिपक्षीगण ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना की है

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सिविल प्रकिया संहिता भारहीन एंव सारहीन हो गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सिविल प्रकिया संहिता भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 18/01/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक